

# मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड



कॉर्पोरेट ऑफिस, जी.पी.एच. कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड, इंदौर-452015  
CIN-U40109MP2002SGC015121, Website: www.mpwz.co.in  
Email : js1.ho@mpwin.co.in, Telephone No.-0731-2426142

क्र.....प्र.नि/प.क्षे./01/स्था-3/ 268

इन्दौर, दिनांक 8 MAY 2020

## // परिपत्र //

विषय :- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2018 के अनुपालन में म.प्र. शासन की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के दिनांक 01.06.2005 के पूर्व के पेंशनर (अधिकारी/कर्मचारी) को ग्रेच्युटी एक्ट-1972 के अनुसार उपादान की अंतर राशि के भुगतान की प्रक्रिया संबंधित निर्देश।

-----\*\*\*\*\*-----

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2018 के तारतम्य में म.प्र. शासन की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के दिनांक 01.06.2005 के पूर्व के पेंशनर (अधिकारी/कर्मचारी) को ग्रेच्युटी एक्ट-1972 के अनुसार उपादान की अंतर राशि के भुगतान की प्रक्रिया संबंधित म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्र.मु.म.प्र.(मा.संसा.एवं प्रशा.)/वीकेएस/874 दिनांक 13.02.2020 के अनुपालन में म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्र. अस/ एमपीपीटीसीएल /छ: /869 दिनांक 24.02.2020 (सह पठित परिपत्र क्र. मुविअ/ ट्रां./ पै. स्था/ 343/ 1367-68 दिनांक 07.12.2019) के अनुसार दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानवृत्त/दिवंगत अधिकारी/कर्मचारियों संबंधित विषयांकित उपादान अंतर राशि भुगतान हेतु निम्न प्रसारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना है :-

- ट्रांसमिशन कंपनी के पूर्व परिपत्र दिनांक 07.12.2019 में जारी आवेदन पत्र प्रारूप (Form-GT) में प्राप्त आवेदन को परिपत्र दिनांक 24.02.2020 के साथ दी गई डाटा शीट G-1 (भाग-एक) प्रारूप में विवरण भरने के उपरांत संलग्न कर नियंत्रक अधिकारी (पेंशनर जहां से सेवानिवृत्त हुआ) द्वारा संबंधित लेखाधिकारी (जहां से पेंशन प्राप्त हो रही है) को प्रेषित किया जावेगा।
- संबंधित लेखाधिकारी, डाटा शीट G-1 (भाग-दो) में आवश्यक प्रविष्टि पश्चात आवेदन (Form-GT) तथा डाटा शीट (Form G-1), उपनिदेशक (पेंशन), कार्यालय मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) पिन-482008 को अग्रेषित करने हेतु केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, इन्दौर द्वारा प्रेषित करेंगे, जिन्हें प्रतिमाह संक्लित तौर पर केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, इन्दौर द्वारा पेंशन अनुभाग, ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर प्रेषित किया जावेगा।

तदनुसार विषयांतर्गत भुगतान आवेदनों संबंधित उपरोक्त कार्यवाही प्रक्रिया का पालन संलग्न परिपत्र दिनांक 24.02.2020 सहपठित परिपत्र दिनांक 07.12.2019 में निहित निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- 1. परिपत्र क्र.मुविअ/ट्रां./पै.स्था/343/1367-68 दिनांक 07.12.2019।  
2. परिपत्र क्र.अस/एमपीपीटीसीएल/छ:869 दिनांक 24.02.2020।

१५/२४/२०२०

(संतोष टैगोर)

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)

E 8 MAY 2020

## प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कार्यपालक निदेशक (मा.सं. एवं प्रशा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लिमि., जबलपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.) म.प्र.पॉ. मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/पॉवर ट्रांस. कंपनी लिमि., जबलपुर।
4. कार्यपालक निदेशक (मा.सं. एवं प्रशा.) म.प्र.पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र कंपनी लिमि., जबलपुर/भोपाल।
5. निदेशक (वाणिज्य), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., इन्दौर।
6. कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
7. कार्यपालक निदेशक (कार्य/ऑपरेशन/योजना), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
8. मुख्य अभियंता एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
9. मुख्य अभियंता (कॉर्पोरेट अफेयर्स/क्रय/प्रोजेक्ट), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
10. मुख्य अभियंता (मैटेनेंस) कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
11. मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. उज्जैन।
12. मुख्य अभियंता (सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
13. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
14. मुख्य आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर।
15. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एमटी/वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर।
16. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विधानसभा), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
17. अधीक्षण यंत्री (भण्डार) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
18. अधीक्षण यंत्री (सू.प्रौ.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर। उक्त आदेश कंपनी की वेबसाईट पर प्रसारित करें।
19. अधीक्षण यंत्री (शहर/संचा-संधा/सिविल) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर / धार / खण्डखवा / खरगौन / बुरहानपुर / झाबुआ / बडवानी / उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / नीमच / मंदसौर / आगर।
20. संयुक्त सचिव-दो/चार, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
21. संयुक्त सचिव-तीन, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
22. निज सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, म.प्र.शासन भोपाल।
23. कार्यपालन यंत्री (शहर/संचा-संधा/एसटीएम/एसटीसी/एमटी/सिविल/भण्डार) संभाग, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.....।
24. उप सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
25. वरिष्ठव/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर / धार / खण्डववा / देवास / खरगौन / उज्जैरन / रतलाम / मंदसौर।
26. निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यीक कार्यवाही हेतु।

संयुक्ती सचिव-1

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर

डाटा शीट: जी. १

पेंशन नियम 1976 के तहत उपदान भुगतान तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अंतर राशि के भुगतान हेतु  
डाटा शीट (दिनांक 01.06.2005 के पूर्व के पेंशनर हेतु)

भाग-एक

1. कार्मिक का नाम .....:
2. आवेदनकर्ता का नाम (यदि कार्मिक दिवंगत हो) : .....
3. कर्मचारी संख्या : .....

हस्ताक्षर एवं सील  
(श्रेणी I एवं II हेतु) क्षेत्रीय लेखाधिकारी

हस्ताक्षर एवं सील  
कार्यालय प्रमुख (श्रेणी III एवं IV हेतु)

भाग-दो

4. अर्हकारी सेवा (व्यवधान, वेटेज घटाकर) : वर्ष ..... माह ..... दिन .....
5. उपदान हेतु भान्य अंतिम वेतन (i) (अंको में) : ₹ .....
- (ii) (शब्दो में) : रूपए .....
6. कुल उपदान (पुनरीक्षित जोड़कर) जो अब तक भुगतान किया गया (i) (अंको में) : ₹ .....
- (ii) (शब्दो में) : रूपए .....

• यदि पेंशन स्वीकृति गणना पत्रक उपलब्ध हो, तो छायाप्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर एवं सील  
क्षेत्रीय लेखाधिकारी  
कंपनी .....

भाग-तीन

7. अधिनियम 1972 के अनुसार भुगतान योग्य उपदान अंतर राशि (i) (अंको में) : ₹ .....
- (ii) (शब्दो में) : रूपए .....

• उपदान अंतर राशि का गणना पत्रक (3 प्रतियों में) संलग्न।

लेखाधिकारी (पेंशन) / उप निदेशक (पेंशन)  
कार्या. मुख्य वित्तीय अधिकारी  
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

8. उपदान अंतर राशि रु. .... का भुगतान दिनांक ..... को किया गया।

हस्ताक्षर एवं सील  
क्षेत्रीय लेखाधिकारी  
कंपनी .....

प्रतिलिपि :-

- (i) नियंत्रण अधिकारी / कार्यालय प्रमुख : .....

इसे सेवा पुस्तिका में अवश्य इंगित करें (उपदान अंतर राशि एवं लाभार्थी का नाम एवं संबंध) / अथवा इसे ही चस्पा करें।

- (ii) आवेदक ..... (पता) .....



# म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्ड ऑफिस: ब्लॉक नं. 2, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दुर्भाष : (0761) 2702036, 2702041  
फोक्स : (0761) 2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/छः/869

दिनांक 24.02.2020

//परिपत्र//

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2018 के अनुपालन में, म.प्र.शासन की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट-1972, के अनुसार उपादान का भुगतान।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10266-10268/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/VI/3604-05 दिनांक 28.11.2019 सह पठित पत्र क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/VI/3646-47 दिनांक 02.12.2019 जारी किये गये हैं। इसी अनुक्रम में उपादान की अंतर राशि की गणना एवं भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. द्वारा परिपत्र क्रमांक मुविअ/ट्रां/पै/स्था/343/1367-68 दिनांक 07.12.2019 जारी किया गया है।

विभिन्न संघों यथा पेंशनर्स ऐसोसिएशन द्वारा उक्त परिपत्रों के माध्यम से जारी प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में लेख किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि. द्वारा परिपत्र क्रमांक CGM (HR&A)/VKS/874 दिनांक 13.02.2020 जारी किया गया है जिसमें 01.06.2005 तक के पूर्व के म.प्र.विद्युत मंडल/म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को उनके आवेदन उपरांत ग्रेच्युटी के अंतर की राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तथा अवमानना प्रकरणों की संभावना से बचने हेतु म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. द्वारा दिये जाने वाले विवरण पत्र (Data Sheet) के साथ आवेदकों से प्राप्त आवेदनों को उत्तरवर्ती कंपनियों के संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जहां से कार्मिक सेवा निवृत हुआ है एवं अथवा संबंधित क्षेत्रीय लेखाधिकारी जहां से पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहा है/था, के माध्यम से कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पेंशनर/परिवार पेंशनर के पूर्व में जारी आवेदन पत्र प्रारूप (Format-GT) में प्राप्त आवेदन कों परिपत्र के साथ दी गई डाटा शीट-G-1 प्रारूप में विवरण भरने के उपरांत सलग्न कर नियंत्रक अधिकारी, संबंधित लेखाधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित क्षेत्रीय लेखाधिकारी डाटा शीट-G-1 में आवश्यक प्रविष्टि पश्चात आवेदन (Form GT) तथा डाटा शीट (Form G-1), उप निदेशक (पेंशन), कार्यालय मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) पिन 482008 को उपादान अंतर राशि की गणना करने हेतु प्रेषित करेंगे। यदि आवेदक द्वारा पूर्व के आवेदन फार्म (Form-GT) में पूर्ण जानकारी नहीं भी दी गई है, तो भी संबंधित नियंत्रक अधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी आवेदन वापस न करते हुए आवश्यक/अपरिहार्य जानकारी प्राप्त कर, निराकरण करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त कर, डाटा शीट-G-1 के साथ उपदान अंतर राशि की गणना की कार्यवाही हेतु कंपनी स्तर पर संकलित जानकारी पेंशन अनुभाग ट्रासमिशन कंपनी को प्रस्तुत किया जावें। इस संबंध में समस्त उत्तरवर्ती कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी अपने स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

संलग्न:-1. विवरण पत्र (Data Sheet) G-1

2. परिपत्र क्र. 874 दिनांक 13.02.2020

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/छ:/ 870

दिनांक 24.02.2020

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
2. कार्यपाल निदेशक (सीआरए)/(मा.संसा.वि.), म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक/ मुख्य अभियंता (मा. संसा. एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ. मैनेजमेंट/जनरेटिंग/पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
4. मुख्य अभियंता (अउदा-संधा. एवं निरी.)/(अउदा-निर्माण)/(परी. एवं संचा.)/(प्रोक्योरमेंट)/(योजना एवं रूपांकन)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(कार्य)/(ट्रांस-पूर्व क्षेत्र), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
5. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आई.टी.-ई.आर.पी.)/(सिविल-ट्रांस)/(सर्टकता)/(ट्रांस-पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन- मध्य क्षेत्र)/(ट्रांस-भण्डार), म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
7. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(अउदा-निर्गाण)/(अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/400 के ट्ही. उपकेन्द्र वृत, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., .....
8. ई.आर.पी. प्रशासनिक कार्या. (आई.टी.-ई.आर.पी) सेल, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
9. संयुक्त निदेशक(पेंशन एवं भविष्य निधि)/(बिल)/(वित), म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
10. कार्यपालन अभियंता (अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/(अउदा-निर्माण)/(संचार)/(परीक्षण)/(स्काडा)/(कर्मशाला)/(400 के.ट्ही. परीक्षण)/(34 भार प्रेषण केंद्र)/(ट्रांस-स्टोर्स), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, .....
11. कार्यपालन अभियंता (एक/दो/तीन/चार/पांच/छ:) कार्यालय मु. अभि. (मा. संसा. एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
12. उप निदेशक (पेंशन)/(भविष्य निधि)/(बिल)/(वित), म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
13. कंपनी सचिव, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
14. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर
15. निज सचिव संबद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
16. कल्याण अधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
17. वेब मास्टर, आई.टी.-ई.आर.पी. सेल, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
18. आर्डर फाइल।

कार्यपालन अभियंता-छ:  
कार्या. मुख्य अभियंता (मा. संसा. एवं प्रशा.)

डाटा शीट: जी. 1

पेंशन नियम 1976 के तहत उपादान भुगतान तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अंतर राशि के भुगतान हेतु  
डाटा शीट (दिनांक 01.06.2005 के पूर्व के पेंशनर हेतु)

भाग-एक

1. कार्मिक का नाम .....
2. आवेदनकर्ता का नाम (यदि कार्मिक दिवंगत हो) : .....
3. कर्मचारी संख्या : .....

हस्ताक्षर एवं सील  
(श्रेणी I एवं II हेतु) क्षेत्रीय लेखाधिकारी

हस्ताक्षर एवं सील  
कार्यालय प्रमुख (श्रेणी III एवं IV हेतु)

भाग-दो

4. अर्हकारी सेवा (व्यवधान, वेटेज घटाकर) : वर्ष ..... माह ..... दिन .....
  5. उपदान हेतु भान्य अंतिम वेतन (i) (अंको में) : ₹ .....
  - (ii) (शब्दों में) : रूपए .....
  6. कुल उपदान (पुनरीक्षित जोड़कर) जो अब तक भुगतान किया गया (i) (अंको में) : ₹ .....
  - (ii) (शब्दों में) : रूपए .....
- ० यदि पेंशन स्वीकृति गणना पत्रक उपलब्ध हो, तो छायाप्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर एवं सील  
क्षेत्रीय लेखाधिकारी  
कंपनी.....

भाग-तीन

7. अधिनियम 1972 के अनुसार भुगतान योग्य उपदान अंतर राशि (i) (अंको में) : ₹ .....
  - (ii) (शब्दों में) : रूपए .....
- ० उपदान अंतर राशि का गणना पत्रक (3 प्रतियों में) संलग्न।

लेखाधिकारी (पेंशन) / उप निदेशक (पेंशन)  
कार्या. मुख्य वित्तीय अधिकारी  
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

8. उपदान अंतर राशि रु. ..... का भुगतान दिनांक ..... को किया गया।

हस्ताक्षर एवं सील  
क्षेत्रीय लेखाधिकारी  
कंपनी.....

प्रतिलिपि :-

- (i) नियंत्रण अधिकारी / कार्यालय प्रमुख : .....
- इसे सेवा पुस्तिका में अवश्य इंगित करें (उपदान अंतर राशि एवं लाभार्थी का नाम एवं संबंध) / अथवा इसे ही चर्चा करें।
- (ii) आवेदक ..... (पता) .....

संलग्न:- उपदान अंतर राशि का गणना पत्रक !

1/5 FEB 2020  
17



## M.P. POWER MANAGEMENT COMPANY LIMITED

CIN : U40109MP2006SGC018637

(A Government of M.P. Undertaking)

Regd. Office : Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur, Madhya Pradesh, INDIA, 482003

Reg. No. ....123

Tel. : 0761-2661111, 2660500, Fax : 0761-2661696, Website : www.mppmcl.com, email : md@mppmcl.com

Date 15.2.

No.CGM(HR&A)/VKS/ 874

/ Jabalpur, dtd. 13 FEB 2020

### CIRCULAR

The erstwhile MPSEB has been restructured into Companies in accordance with the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003 vide GoMP notification dtd. 30.09.2003. Subsequently, the Companies were given autonomy w.e.f 01.06.2005.

The employees of erstwhile MPEB/MPSEB, who have been retired on or before 01.06.2005 (including such family members) and who are entitled for Pension and other Terminal Benefits, have been defined as "Existing Pensioner" and treated as deemed transferred to the Transco and they shall be paid terminal benefits, regularly by the Transco.

The Hon'ble Supreme Court vide order dtd 05.10.2018, allowed the employees of erstwhile MPEB/MPSEB to opt the Gratuity under Gratuity Act, 1972, in place of DCRG under M.P.C.S.(Pension)Rules, 1976. Accordingly, the employees, who wish to opt Gratuity under Gratuity Act, 1972, shall be paid accordingly.

On account of verdict of Hon'ble Supreme Court, large number of applications are being received by all the Companies for making payment of difference in Gratuity under Gratuity Act, 1972 in place of DCRG under Rule 44 of Madhya Pradesh Civil Service (Pension) Rules, 1976. Further, it is learnt that large number of Court cases including Contempt cases are pending in various Competent Courts.

Needless to mention that the Pensioners are also agitating this issue at various other Forums. In order that the pending applications of Pensioners and Family Pensioners retired prior to 01.06.2005 are quickly disposed off, the MP Power Transmission Co.Ltd. shall be issuing a format seeking relevant information and the manner in which payment is to be made, which shall be made available to all the Companies, very shortly. The MD, MPPMCL and Chairman, Discoms, has desired that all the Companies shall assist by filling the requisite information and send the application(s) alongwith filled-up information, as per the format to Transco, at the earliest

However, as regards processing and payment of difference of Gratuity for those employees, who have retired after 01.06.2005 on account of opting Gratuity under Gratuity Act, 1972, the processing and payment shall be made by the respective Company, in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003, as amended upto date.

J DC PEST

DD(P) on leave

P1. issue in structures

15.2

Shri ONV

BY ORDER,

*[Signature]*

Chief General Manager (HR&A)  
MPPMCL : Jabalpur

No. CGM(HR&A)/VKS/ 875

Copy to :-

1. The OSD, GoMP, Energy Deptt., Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal.

Jabalpur, dtd. 13 FEB 2020

- Rb
- III<sup>o</sup> S.E  
III F&D
2. The Chief Engineer (HR&A), MPTCL/MPPGCL, Jabalpur.
  3. The Chief General Manager (HR&A), MPPoKVCL/ MPPaKVCL/ MPMKVCL, Jabalpur/Indore/Bhopal.
  4. The Chief General Manager Commi (C1,C2 & C3)/RO/RM/PM, MPPMCL, Jabalpur.
  5. The Chief Financial Officer, MPPoKVCL/ MPPaKVCL/ MPMKVCL/MPPMC, Jabalpur/Indore/Bhopal.
  6. MPPMCL, Jabalpur.
  7. The General Manager (IAD)/(F&A), MPPMCL, Jabalpur.
  8. The Chief General Manager (IT), MPPMCL, Jabalpur. To "Post in Company Website".
  9. The Superintending Engineer(Civil)HQ/ SMHEP, MPPMCL, Jabalpur/ Mandleshwar.
  10. The Chief Medical Officer/ Sr. Public Relation Officer,, MPPMCL, Jabalpur.
  11. The DGM (Vehicle)/(L&A), MPPMCL, Jabalpur.
  12. The Executive Engineer (Civil)-Dn.I/Admin.Complex Maint Dn., MPPMCL, JBP.
  13. The Staff Officer to Managing Director, MPPMCL, Jabalpur.
  14. The Deputy General Manager(Accounts), MPPMCL, Jabalpur.
  15. The Accounts Officer (Salary & Pension), MPPMCL, Jabalpur.
  16. The Resident Engineer, MPPMCL, M-13, Green Park Main, New Delhi.  
-for information & necessary action..

D.Sohu  
Addl. General Manager(HR&A)  
MPPMCL : Jabalpur

J.S. - III      1180  
A.O. - I      2-3-20

A.O. - II

A.O. - III

H.R. - I

H.R. - II

S.O.      A.O./H.R. - I & II

16 DEC  
I/No. 39397  
INDORE

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड  
(म.प्र. शासन का उपक्रम)  
CIN : U40109MP2001SGC014880  
रजिस्टर्ड ऑफिस : ब्लॉक नं.-2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2661234  
फैक्स नं : (0761) 2664141, ईमेल : md@mptransco.nic.in वेबसाइट :-mptransco.in  
क्रमांक मुद्रिया/ट्रां०/पै०/स्था/343//367-68

MAGNETIC  
6712576  
To Invest. Visit  
MAG

दिनांक 7/12/2019

//परिपत्र//

विषय:- मानोसर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2018 के अनुपालन में, म0प्र0शासन की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट -1972, के अनुसार उपादान का अंतर राशि के भुगतान की प्रक्रिया ।

मुख्य अभियंता (मा०सं०/प्रशा०), म० प्र० पा० ट्रां० क० लि०, जबलपुर के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/VI/ 3604-05 दिनांक 28.11.2019, सह पठित पत्र/परिपत्र क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/छ:/ 3646 दिनांक 02.12.2019 के संदर्भ में उपादान की अंतर राशि की गणना एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी : -

(अ) दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवा निवृत्त/दिवंगत कार्मिक जिनकी पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान म०प्र०पा०मैने०/म०प्र०पा०जन०/म०प्र०पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण/म०प्र०मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण/म०प्र० पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण/क०लि० कंपनियों से किया गया हो अथवा किया जा रहा है :

8/12/2019  
CCP/10/0/J.S. - INDORE  
उपादान (DCRG) का भुगतान किया जा चुका है, तथा जो ग्रेच्युटी  
अधिकारी 1972 के अंतर्गत उपादान चाहते हों, तो वे अंतर की राशि, (यदि कोई हो तो) के भुगतान हेतु कंपनी के संबंधित नियंत्रक अधिकारी जहां पर सेवा निवृति/मृत्यु के समय वे पदस्थ थे, को आवेदन निर्धारित फार्म जी०टी०(छायाप्रति संलग्न) में प्रस्तुत करेंगे।

8/12/2019  
(ii) संबंधित नियंत्रक अधिकारी कार्यालय यदि बंद/विलय हो गये हैं, तो वे नवीन नियंत्रक अधिकारी कार्यालय अथवा उनके उच्च कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करेंगे (अर्थात् वृत/विभाग प्रमुख) ।

8/12/2019  
(iii) संबंधित नियंत्रक अधिकारी, आवेदन का परीक्षण एवं आवेदक की सत्यता प्रमाणित कर, प्रकरण सेवा पुस्तिका सहित संबंधित क्षेत्रीय लेखा इकाई / केन्द्रीय पेंशन वितरण प्रकोष्ठ की ओर उपादान अंतर राशि की गणना एवं पुनरीक्षित जीपीओ जारी करने बाबत अग्रेंडिट करेंगे।

8/12/2019  
(iv) संबंधित क्षेत्रीय लेखा इकाई / केन्द्रीय पेंशन वितरण प्रकोष्ठ के अधिकारी द्वारा अंतर राशि की गणना कर, पुनरीक्षित जीपीओ जारी किया जाएगा ।

पत्राचार:- कार्यालय मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,  
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, टेली. 0761-2702127, ईमेल: pensionmpptcl@yahoo.com टेलीफँक्स: 0761-2665550

क्रमांक: ..2.

(v) तत्पश्चात क्षेत्रीय लेखा इकाई/कंपनी द्वारा भुगतान हेतु मांग पत्र, टीबीटी के आरोटी० १ मांगपत्र के माध्यम से प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(vi) संबंधित अंतर राशि की स्वीकृति का उल्लेख नियमानुसार सेवा पुस्तिका/जी०ए०आ०० में दर्ज किया जाए जिसका प्रारूप 'E' संलग्न है ।

साथ ही क्षेत्रीय लेखाधिकारी/केन्द्रीय पेंशन वितरण प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन हेतु उपादान भुगतान अधिनियम 1972-में गणना सूत्र एवं महत्वपूर्ण कुछ बिन्दुओं की सूची संलग्न है ।

आवेदन प्राप्ति पर उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के तहत विकल्प अंतिम माना जावेगा। इस विकल्प को भविष्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

अति पुराने (संभवतः 1994 के पूर्व) प्रकरणों में संबंधित क्षेत्रीय लेखा इकाई कार्यालय में यदि पेंशन स्वीकृति की गणना पत्रक उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में ही, उसे संबंधित क्षेत्रीय लेखा इकाई / केन्द्रीय पेंशन वितरण प्रकोष्ठ द्वारा पेंशन अनुभाग द्रांसमिशन कंपनी से कार्मिक की सेवा निवृति/मृत्यु (सेवा में रहते) तिथि, पेंशन स्वीकृति का पूर्ण आदेश क्रमांक एवं दिनांक सहित, अन्य विवरण उपलब्ध कराते हुए, पेंशन स्वीकृति गणना पत्रक की छायाप्रति प्राप्त करने का प्रयास किया जाए ।


**नोट- 1:-** जिन कंपनियों द्वारा दिनांक 01.06.2005 या उसके पश्चात के प्रकरणों हेतु अगर उपरोक्त से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो वे अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं ।

**नोट- 2:-** जिन अति पुराने प्रकरणों में अथक प्रयासों के पश्चात भी यदि सेवा पुस्तिका/जीएआर उपलब्ध नहीं होती है, तो उनकी अनुपूरक (Supplementary) सेवा पुस्तिका/जीएआर शीघ्र बनाकर, पुनरीक्षित जीपीओ एवं अन्य विवरण दर्ज कर, भुगतान की प्रक्रिया की जाए ।

(ब) दिनांक 01.06.2005 तथा उसके पश्चात म०प्र०पा०द्र००क०लि० के सेवा निवृत्त/दिवंगत कार्मिकों हेतु प्रक्रिया:-

इन प्रकरणों में भी उपरोक्त "अ" के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी ।

- संलग्न:-**
1. गणना सूत्र एवं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की सूची ।
  2. उपादान की अंतर राशि की स्वीकृति का उल्लेख जो सेवा पुस्तिका/जीएआर में दर्ज किया जाना है, का प्रारूप 'E' ।
  3. आवेदन फार्म 'GT' का प्रारूप ।

  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
म०प्र०पा०वर द्रांसमिशन क०लि०,  
जबलपुर.

113//

क्रमांक मुविअ / द्रां० / पैं० / रथा / 343 / 1368  
प्रतिलिपि:-

दिनांक 7/12/

1. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, म०प्र०शासन, उर्जा विभाग, भोपाल ।
2. कार्यपालक निदेशक (सीआरए) / (मा०संसा०वि०) म०प्र०पा०द्रांसमिशन क०लि०, जबलपुर ।
3. मुख्य महाप्रबंधक / मुख्य अभियंता (मा०संसा० एवं प्रशा०) म०प्र०पावर मैने० / जनरेटिंग / पूर्व क्षेत्र / परिचम क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / विंवि०कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / इंदौर / भोपाल । कृपया आपकी कंपनी के समस्त अन्य कार्यालयों में इसे संलग्नकों सहित प्रसारित करने का कष्ट करें ।
4. मुख्य अभियंता (अउदा-संधा एवं निरी०) / (अउदा-निर्माण) / (परीक्षण एवं संचार) / (प्रोक्योरमेंट) / (यो०एवं रूपां०) / (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) / (कार्य) / (द्रांस०-पूर्व क्षेत्र), म०प्र० पावर द्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर । कृपया अपने अधिनस्थ समस्त कार्यालयों (यदि हो) में इसे संलग्नकों सहित प्रसारित करने का कष्ट करें ।
5. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म०प्र०पावर / मैने० / जनरेटिंग / पूर्व क्षेत्र / परिचम क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / विंवि०क०लिमिटेड, जबलपुर / इंदौर / भोपाल । कृपया आपकी कंपनी के समस्त क्षेत्रीय लेखा इकाईयों / केन्द्रीय पेंशन वितरण केन्द्र में इसे संलग्नकों सहित प्रसारित करने का कष्ट करें ।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आई०टी०-ई०आर०पी०) / (सिविल-द्रांस) / (द्रांस-मध्य क्षेत्र) / (द्रांस-परिचम क्षेत्र) / (सतर्कता) / (द्रांस-मंडार), म०प्र०पावर द्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर / भोपाल / इंदौर ।
7. ई०आर०पी० प्रशासक कार्या०(आई०टी०-ई०आर०पी०)सेल, म०प्र०पा०द्रां०क०लि० जबलपुर ।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, म०प्र०पा०द्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल / इंदौर ।
9. निज सचिव सबंद्ध प्रबंध संचालक, म०प्र०पा०द्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
10. वेब मास्टर (आई०टी०-ई०आर०पी०प्रकोष्ठ) म०प्र०पा०द्रांस०कंपनी लिमि०, जबलपुर ।

संयुक्त निदेशक (पैं० एवं भ०नि०)  
कार्यालय-मुख्य वित्तीय अधिकारी  
म०प्र०पा०द्रां०क०लि०, जबलपुर.

उपदान भुगतान अधिनियम 1972 हेतु गणना सूत्र एवं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु।

गणना सूत्र :— मूल वेतन+मंहगाई भत्ता \* अर्हकारी सेवा \* 15

26

महत्वपूर्ण बिन्दुः—

1. नियमानुसार अर्हकारी सेवा में कार्यभारित (Work Charge) अवधि सेवा को भी सम्मिलित जावेगा।
2. नियमानुसार उपदान भुगतान अधिनियम 1972 मे किसी Weightage का प्रावधान नहीं है।
3. कार्मिक की मृत्यु की दशा मे भी गणना सूत्र मे कोई बदलाव नहीं है (मृत्त या जीवित कार्मिक हेतु उपरोक्त गणना सूत्र समान रहेगा।)

नोट :— उपरोक्त बिन्दुओं एवं गणना सूत्र हेतु उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों भी संज्ञान लेवे।

A  
उपनिदेशक (पेंशन)  
कार्या. मु.वि.अ. म.प्र.पा.ट्रां.क.लि.  
जबलपुर.

प्रारूप 'E'

Draft of entry in Service Book /GAR

DCRG Sanctioned as per DCRG Act 1972 Rs. \_\_\_\_\_

DCRG already paid as per M.P.C.S. (Pension) Rule 1976  
Rs. \_\_\_\_\_

Difference amount payable Rs. \_\_\_\_\_

to Shri/Smt. \_\_\_\_\_

(Relationship with employee (if different) \_\_\_\_\_ )

(Dated Signature)  
Sr. A.O./R. A.O./C.E.O.

प्रति

नियंत्रक अधिकारी (कार्यालय प्रमुख)

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं. लिमिटेड

आवेदक क  
छायाचित्र

हस्ताक्षर

विषय:- ग्रेच्युटी अधिनियम-1972 के अंतर्गत उपादान की अंतर राशि के भुगतान विषयक।

अधोहस्ताक्षरकर्ता, ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के अंतर्गत उपादान की अंतर राशि चाहता/चाहती हैं।

आवेदनकर्ता/पेंशनर का विवरण निम्नानुसार है :-

1. कार्मिक का नाम - .....
2. आवेदनकर्ता का नाम (यदि कार्मिक दिवंगत हो).....
3. आवेदनकर्ता का कार्मिक से संबंध.....
4. आवेदनकर्ता का पता (यदि वह पेंशनर/परिवार पेंशनर नहीं है).  
.....फोन नं.....
5. कर्मचारी क्रमांक.....भविष्य निधि लेखा क्रमांक.....
6. सेवानिवृत्ति/मृत्यु (सेवा मे रहते) की तिथि.....
7. सेवानिवृत्ति/मृत्यु (सेवा मे रहते) के समय धारित पद.....
8. सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय कार्यालय का नाम.....
9. क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय जहाँ से वर्तमान/अंतिम पेंशन प्राप्त की हो .....  
.....दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) .....
10. क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा जारी पेंशन/डीसीआरजी का पीपीओ/जीपीओ का पूर्ण क्रमांक एवं  
दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) .....
11. पेंशन/डीसीआरजी स्वीकृति आदेश का पूर्ण क्रमांक तथा दिनांक (आदेश तथा गणना पत्रक की  
छायाप्रति संलग्न करें) .....
12. सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत प्राप्त डीसीआरजी.....
13. पुनरीक्षित पेंशन/डीसीआरजी आदेश क्रमांक तथा दिनांक (यदि लागू हो).....
14. पुनरीक्षण के कारण प्राप्त डीसीआरजी की अंतर राशि (पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत)  
(यदि प्राप्त हुई है तो).....
15. कुल प्राप्त डीसीआरजी (12+14).....

16. कुल मान्य अर्हकारी सेवा अधिधि-वर्ष ..... माह ..... दिन .....
17. ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि पर देय उपदान की अधिकतम सीमा.....
18. अधिनियम 1972 के तहत देय ग्रेच्युटी की राशि.....  
(गणना पत्रक संलग्न करें)
19. गणना पत्रक के आधार पर शेष भुगतान योग्य उपदान अंतर राशि (यदि कोई हो तो) (18-15)  
.....
20. पेशनर/आवेदक के बैंक खाते का विवरण :- नाम.....  
खाता क्रमांक ..... बैंक का नाम.....  
शाखा..... IFSC Code.....

संलग्न:- 1. पेशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृति आदेश (गणना पत्रक सहित) की स्व सत्यापित छायाप्रति।

2. पीपीओ/जीपीओ की स्व सत्यापित छायाप्रति।

3. गणना पत्रक।

4. आधार कार्ड/पेनकार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस

या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जो सरकारी

नियमानुसार गान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।

मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे स्वज्ञान से पूर्णतः सत्य है तथा किसी प्रकार की त्रुटि पा  
जाने पर मैं दण्ड का भागी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर .....  
आवेदक का नाम .....  
पूर्ण पता .....  
मोनं .....